प्रदूषण रोकिए! क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण बचाइए!!

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref. 138/NGT OA No 174/2022 दिनांक / Date. 03.06.2022

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Sub: Action taken report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT dated 07.03.2022 in OA No. 174 of 2022 Dharmendra Kumar Singh Versus Union of India & Ors.

Sir,

Please refer to the subject noted above. Consequent upon the referenced Order,
the designated Committee constituted has made sincere efforts in addressing all the issues in compliance of the referenced Order. The Report with all supporting Annxeure is enclosed with request to kindly place before Hon'ble Tribunal. The above case has listed for further hearing in Hon'ble Court on dated 12.07.2022

Encl. As Above (Total-23 Pages)

Yours faithfully

(Kalika Singh)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action please.

1. Member Secreatory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर, मऊ रोड, आजमगढ़ – 276001, www.uppcb.com, E-mail- roazamgarh@uppcb.in
मुख्यालय : टी.सी. 12वी,, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 # दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831
फैक्स : 0522–2720764 # ई–मेल : info@uppcb.com # वेबसाइट : www.uppcb.com

REPORT

PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(NGT), NEW DELHI

O.A. No. 174 of 2022

In the matter of Dharmendra Kumar Singh

Vs.

Union of India & Ors.

01. Background

Taking note of complaint made to the Hon'ble Tribunal regarding operation of brick klin by Respondent no. 8 M/S Aakansha Int Bhatta at Sarni, Koth, Sikandarpur, Ballia, Uttar Pradesh and Respondent no. 9 M/S Ashok Kumar Sharma Int Bhatta, Phalpura, Koth, Sikandarpur, Ballia, Uttar Pradesh in residential area in violation of the environmental norms.., Hon'ble Tribunal has passed order dated 07.03.2022. The relevant part of the order is as follows:

"... Having regard to the allegations of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint

Committee of the State PCB, District Magistrate-Ballia (Uttar Pradesh).

The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance....."

02. Action Taken

In compliance of the said order the following team was constituted.

Nominated Members

1. Shree Prashant Kumar Nayak, Sub Divisinal Magistrate, Sikandarpur, Ballia, (Representative of District Magistrate).
2. Shree Kalika Singh, Regional Officer (U.P. Pollution Control Board)

Other Members

1. Shree Bhalendra Kumar Srivastava, Assistant Scientific Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi
2. Shree O.H. Siddiqui, Scientific Assistant, U.P. Pollution Control Board, Azamgarh

3. Shree Naveen Kumar, Lab Assistant, U.P. Pollution Control Board, Azamgarh

4. Shree Shrawan Kumar Rathaur, Tehsildar/Nayab Tehsildar, Sikandarpur, Ballia

The meeting of the above team was convened on 31.03.2022 and unanimously decided to conduct physical inspection of the Brick Kilns sites on dated 27.04.2022. According to the decision taken, the inspection of the brick kilns sites were done by the joint team on dated 27.04.2022.

Observations

(a) **M/S Aakansha Int Bhatta at Sarni, Koth, ikandarpur, Ballia**-

1. That the brick kiln M/s. Akanksha brick kiln Sarni Koth Sikandpur Ballia (formerly M/s Khan and Ansari Bricks Works) Araji No. 165 173 of Sarni, Koth, Sikandpur district- Ballia has been establishment in accordance with the prevailing Zilla Parishad's guide line, the State Board has issued No objection certificate vide letter No. 889/N.O.C./ Khan and Ansari Bricks Works/2000 Dated 10-10-2000.

Inspection report dated 05.10.2000 and copy of the N.O.C is attached. **Annexure-I.**

2. That the said brick kiln was operated from 2000 to 2003 in the name of M/s Khan and Ansari Bricks Works Kiln Araji No. 165 173 Sarni, Koth, Sikandpur District Ballia. Thereafter, the brick kiln was owned and operated by Mr. Dilip Singh from the year 2004 to 2011 in the changed name of M/s Raj Brick Udyog. Again the brick kiln was owned and renamed and operated by Mr. Samarsen Bahadur Singh Sarni Ballia. At present the brick kiln M/s. Akanksha brick kiln Sarni Koth Sikandpur Ballia is being operated by the owner Mrs. Geeta Singh W/O Mr. Dilip Singh.
3. That a complaint letter dated 16.11.2020 was received in office against the brick kiln. In the context of the complaint received the site of the brick kiln was inspected by the Regional Office, Azamgarh on 25.10.2020. On the basis of recommendation, a show cause notice was issued to brick kiln under Section 31 (A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended vide letter number

H.56614/C-6/Ent Bhattha/212/Ka. Ba.No./Azamgarh Dated 28.11.2020.

4. Regarding show cause notice, representative of brick kiln submitted reply letter with request to revoke the show cause notice. After Scrutiny of reply and inspection report by Regional Office Azamgarh, the show cause notice was conditionally revoked vide letter dated 27.01.2021. Thereafter Online application was submitted for obtaining consent under air and water act by the brick Kiln. Again brick kiln was inspected by the officials of the Regional Office, Azamgarh and recommended for renewal of CTO.

   After examining the latest inspection report and report submitted by the Revenue Department, Skandarpur, Distt. Ballia regarding population, school, hospital etc., consent application was approved by Regional Officer Azamgarh.

5. An affidavit has been submitted by the owner of the brick kiln on 10.05.2022 that the brick kiln M/s. Akanksha Brick Kiln which is established at Araji

No. 165, 173, Sarni Koth, Sikanderpur Ballia will not be operated in future due to unavailability of soil and the poor economic condition. Copy of the said affidavit is annexed as **Annexure-II**

(b). M/s Ashok Kumar Singh Int Bhatta, Phulpura, Koth, Sikandarpur, Ballia-

1. That the brick kiln M/s Pragati brick kiln, (formerly M/s G.B.S. brick kiln industry), situated in Azari no. 1712, Phulpur, Koth, Sikandpur, Disstt-Ballia. The State Pollution Control Board has issued No objection certificate (for establishment) vide letter No. 890/N.O.C./G.V.S. Ent Bhattha Udyog/2000 Dated 10-10-2000 because Brick kiln site was found in accordance with the prevailing Zilla Parishad's guidelines. Inspection report dated 05.10.2000 and copy of the N.O.C is attached. **Annexure-III.**
2. That the said brick kiln was operated from 2000 to 24.3.2010 in the name of M/s GBS Brick Kiln Udyog, Phulpur, Koth, Sikandpur, District-Ballia. Later on, the name of the said brick kiln was changed as M/s

Ashok Kumar Int Bhattha and has operated from the 25.03.2010 to 31.12.2021. At present the brick kiln M/s Pragati brick kiln, Phulpur Koth, Sikandpur, Ballia is being operated by Shri Vyas Singh (Proprietor) Dugauli, Sikanderpur, Ballia.

3. That the brick Kiln was being operated without valid consent to operate certificate from State Pollution Control Board. Hence, the State Pollution Control Board issued closure order against brick kiln vide letter no H.63450 / C-6 / Sa.-632 / Ent Bhattha / Bandi Aadesh/ Ballia / 2021, dated 15.07.2021. Copy of closure order is attached as. **Annexure-IV.**

   As the brick kiln has operated without consent, hence proceedings for imposing environment compensation are being taken.

4. That Mr. Dharmendhra Kumar Singh vill- Sarni Koth, Ballia submitted a complaint letter dated 21.01.2022 in the Regional Office against the brick kiln. In the context of the complaint received, the site of the brick kiln was inspected by officials of Regional Office Azamgarh on 28.01.2022. At the time of inspection,

the brick kiln was found closed and Shri Vyas Singh was present at the time of inspection.

5. That the representative of brick kiln has submitted online CTO application for renewal with a request to revoke the closure order issued by the Board. After examining the latest inspection report and recommendation to revoke the closure order dated 15.07.2021, the Board vide Head Office letter No.-H.72104/C-6/Ent Bhattha/153/Closer Order Nikshep /Azamgarh/2022 dated 28.02.2022 has revoked the closure order. Copy of the same is attached as **Annexure-V**.

6 That in compliance of order dated 07.03.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, a joint team was constituted and brick kiln was inspected on 27.04.2022. The brick kiln was found closed and the position of all four directions from the brick kiln was found as follows-

- **North direction** - Open area up to about 02 km. There is no population, school etc.

- **South direction** - local road on about 30 meters and open area up to 1 km, there is no population, school etc.
- **East direction** - Road and canal at a distance of about 30 meters and open area up to 2 km, there is no population, school etc.
- **West direction** - Open area up to 1.5 km, there is no population, school etc.

7. That the Brick kiln has submitted online CTO Application form on 10.05.2022. For the disposal of the CTO application submitted ny the brick kiln, legal opinion/guidance was sought from the State Board Head Office and thereafter consent was granted vide order dated 13.05.2022.

02/06/2022
(**Kalika Singh**)
Regional Officer
UPPCB, Varanasi

(**Prashant Kumar Nayak**)
SDM (Sikandarpur)
Ballia

Annexure-I

मेसर्स खान एण्ड अन्सारी ब्रिक वर्क्स, ग्रा० सरनी पो० कौवा तहसील सिकन्दरपुर, बलिया ...... का प्रस्तावित स्थल निरीक्षण आख्या।

महोदय,

आपके निर्देशानुसार उपरोक्त स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ...5/10/20 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रुप में श्री .[illegible] उल्लाह..... उपस्थित थे।

1- उद्योग का प्रस्तावित स्थल अराजी नं. 165, 173 है।

2- प्रस्तावित स्थल की चारों दिशाओं की स्थिति इस प्रकार है।

(अ) दक्षिण की ओर- लगभग 200 मी० पर ग्राम सरनी प्रारम्भ।

(ब) पूरब की ओर- लगभग 1 km पर सन्डवा ग्राम तथा लगभग 50 मी० पर एक मिश्रित बगीचा (आम, जामुन, नीम, महुआ आदि)

(स) उत्तर की ओर- लगभग 250 मी० बंसवाड़ी एवं ग्राम उच्चवार कोडरा तथा 10 मी० पर एक आम का बगीचा 80 डि० (शपथपत्र प्रस्तुत)

(द) पश्चिम की ओर- लगभग 125 मी० पर छिटपुट 4-5 मकान आदि खुला क्षेत्र

(य) अन्य विवरण - ~~दक्षिण [illegible]~~ दक्षिण एवं ~~[illegible]~~ पूरब में लगभग 25 मी० पर एक आम का बगीचा कुछ पेड़ महुवे के हैं लगभग एक एकड़ शपथपत्र प्रस्तुत हैं।

उक्त आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5/10/20
(ओ. एन. सिद्दीकी)
वैज्ञानिक सहायक

सहा. पर्या/अभि./सहा. वैज्ञा. अधि./क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित स्थल निरीक्षण आख्या का अवलोकन करना चाहें।

(हस्ताक्षर) 10.10.2020

फोन : (0542) 315143
फैक्स : (0542) 315143

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्पलेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी

संदर्भ 889/एनओसी/ग्रान एण्ड अन्सारी ब्रिक फर्म/2000 दिनांक 10-10-2000
13,

सेवा में,

मेसर्स ग्रान एण्ड अन्सारी ब्रिक फर्म
तरनी, कोथ, सिकन्दरपुर
बलिया

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नयी इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 4-10-2000 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्न-लिखित विशिष्ट शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :—

(क) स्थल
अराजी नं. 165, 173 तरनी, कोथ, सिकन्दरपुर, बलिया

(ख) उत्पादन
ईंट- 15,000 प्रतिदिन

(ग) मुख्य कच्चे माल ....
मिट्टी
....
....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा ....
शून्य
....
....

(ङ) प्रयुक्त ईंधन ....
कोयला– 2 टन प्रतिदिन
....
....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र–संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह, शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एव वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम दो माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्य-वाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 2500 लीटर/दिन से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टेंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक दिसम्बर–2000 तक अवश्य प्रस्तुत की जाय।

7. प्रस्तावित उद्योग स्थल के चारों ओर अधिकतम मीटर चौड़ी हरित पट्टीका का विकास किया जाय।

8. परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण भण्डारों तथा आयात नियम 1969 के अन्तर्गत आंकड़े शीट, दुर्घटना की सूचना आदि सूचनाएं विभिन्न प्रारूपों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. पर्यावरण स्टेटमेन्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विलम्बतम 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. उद्योग द्वारा एक्सप्लोसिव विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाय।

11. लोकदायित्व बीमा अधिनियम 1991 की अनुपालन सुनिश्चित करें।

12. उद्योग द्वारा अग्नि शमन हेतु उचित व्यवस्था की जाय।

13- उद्योग द्वारा यदि किसी प्रकार का सालिड वेस्ट निकलता है तो इसके निस्तारण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जायेंगे, ताकि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो।

14- उद्योग में 10 हार्सपावर के डीजल इंजन की स्थापना की जायेगी। इंजन से संलग्न एग्जास्ट की ऊंचाई आस-पास के भवन छत से 1.5 मीटर रखी जायेगी।

15- उद्योग में भट्ठे संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल से 30 मीटर रखी जायेगी।

16- चिमनी के साथ ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जायेगी। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

17- उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 29-9-2000 एवं 9-10-2000 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

18- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

19- जिला परिषद की गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

20- आपके भट्ठे से अन्य भट्ठे की दूरी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के सुझावों के अनुसार होनी चाहिये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक...........................तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता-वृत्त 6 उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तृतीय तल, बी-ब्लाक, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ–226010..

2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,.......बलिया...

3. ....

O/C

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-II

Seen
10-05-2022

पर जारी जाये।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY
NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ–पत्र

41AE 952512

समक्षः–

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आजमगढ़।

1. यह है कि मेरा नाम गीता सिंह पत्नी श्री दिलीप कुमार सिंह, ग्राम–सरनी, पोस्ट–कोथ, तहसील–सिकन्दरपुर, जनपद–बलिया की स्थाई निवासी हूँ तथा मेसर्स आकांक्षा ईंट भट्ठा, सरनी, कोथ, सिकन्दरपुर, बलिया की स्वामी हूँ।
2. यह है कि मेरे द्वारा एक ईंट भट्ठा वर्ष 2016 में श्री समरसेन बहादुर सिंह, सरनी, बलिया से क्रय कर रही हूँ।
3. यह है कि ईंट भट्ठा की स्थापना वर्ष 2000 में उस समय तत्कालीन प्रचलित जिला परिषद की गाइड लाइन के अनुरुप की गई थी तथा बोर्ड द्वारा मेसर्स खान एण्ड अन्सारी ब्रिक वर्क्स, अराजी सं0–165,173, सरनी, कोथ, सिकन्दरपुर, बलिया के नाम से पत्र सं0–889/एन0ओ0सी0/खान एण्ड अन्सारी ब्रिक वर्क्स/2000/3 दिनांक 10.10.2003 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।
4. यह है कि मेरे द्वारा ईंट भट्ठे का नाम परिवर्तित कर मेसर्स आकांक्षा ईंट भट्ठा किया गया है।
5. वर्तमान में मिट्टी की कमी तथा आर्थिक स्थिति के कारण ईंट भट्ठे का संचालन बन्द कर रही हूँ।
6. यह है कि अराजी सं0–173 पर चिमनी/ईंट भट्ठा स्थापित है तथा अराजी सं0–165 पर ईंट की पथाई आदि का कार्य किया जाता है।
7. यह है कि मेरे ईट भट्ठे को निर्गत जल/वायु सहमति दिनांक 25.02.2021 को मैं सिरेण्डर कर रही हूँ।
8. यह है कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी नीजी जानकारी में सही व सत्य है। न कुछ झूठ है न कुछ छुपाया गया है।

स्थान–आजमगढ़।

दिनांक :–10.05.2022

गीता
ह0 शपथी

ना० (प्री०) गीता सिंह W/o दिलीप कुमार सिंह, सरवरा, को
सिकन्दरपुर, बलिया

10-05-2022
विजय प्रताप सिंह
ल० नं०-54
कलेक्ट्री कचहरी,आजमगढ़

गीता

Geeta Singh
W/O Dilip Kumar Singh
12-18 10/5/22

I Certify that Sri/Smt/Km ... about ... years ... today at about ... and ... Oath U/s 8 of Notaries Act 1952 who voluntarily affirm to the contents certified ... satisfied by ... by examining the deponent ... which were read out and explained to him Sri/Smt/Km ... is personally know to me of identified ...

Geeta Singh

APS
10/5/22

Annexure-III

मेसर्स जी.बी.एस. ईट भट्ठा ग्रा. फतेपुरा पो. कोथ तहसील - सिकन्दरपुर - जिला - बलिया का प्रस्तावित स्थल निरीक्षण आख्या।

महोदय,

आपके निर्देशानुसार उपरोक्त स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 5/10/2000 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री जगनारायण शर्मा ...... उपस्थित थे।

1- उद्योग का प्रस्तावित स्थल अराजी नं. 1712 है।

2- प्रस्तावित स्थल की चारों दिशाओं की स्थिति इस प्रकार है।

(अ) दक्षिण की ओर- लगभग 400 मी० पर मिश्रित बगीचा (आम, महुआ, आदि) एवं 500 मी० पर [illegible] ग्राम।

(ब) पूरब की ओर- लगभग 600 मी० पर ग्राम [illegible]।

(स) उत्तर की ओर- लगभग 400 मी० पर [illegible] ग्राम एवं बसवाड़ी आदि।

(द) पश्चिम की ओर- लगभग 300 मी० पर मिश्रित बगीचा (आम, महुआ, पीपल) आदि।

(य) अन्य विवरण - —

उक्त आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

Siddiqui
10/10/2000
(ओ. एम. सिद्दीकी)
वैज्ञानिक सहायक

सहा. पर्या. अभि. / सहा. वैज्ञा. अधि. / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

कृपया उपरोक्त स्थल निरीक्षण आख्या का अवलोकन करना चाहें।

[signature]
10.10.2000

P. T. O. 2

फोन : (0542) 315143
फैक्स : (0542) 315143

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्पलेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी

संदर्भ 890 /एनओसी/जी.पी.एस. ईंट भट्ठा उद्योग/2000/2, दिनांक 16-10-2000

सेवा में,

मेसर्स जी.पी.एस. ईंट भट्ठा उद्योग
फत्तेपुरा, चौथ, सिकन्दरपुर
बलिया

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नयी इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 4-10-2000 का संदर्भ लें । आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है ।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :—

(क) स्थल अराजी नं. 1712 फत्तेपुरा, चौथ, सिकन्दरपुर, बलिया

(ख) उत्पादन ईंट- 15,000 प्रति दिन

(ग) मुख्य कच्चे माल ....
मिट्टी
....
....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा ....
शून्य
....
....

(ङ) प्रयुक्त ईंधन ....
कोयला- 02 टन प्रतिदिन
....
....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र-संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह, शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम दो माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 2500 लीटर/दिन. से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

6 प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक दिसम्बर 2000 तक अवश्य प्रस्तुत की जाय।

7. प्रस्तावित उद्योग स्थल के चारों ओर अधिकतम मीटर चौड़ी हरित पट्टीका का विकास किया जाय।

8. परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण भन्डारों तथा आयात नियम 1969 के अन्तर्गत आंकड़े शीट, दुर्घटना की सूचना आदि सूचनाए विभिन्न प्रारूपों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9 पर्यावरण स्टेटमेन्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विलम्बतम 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. उद्योग द्वारा एक्सप्लोसिव विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाय।

11. लोकदायित्व बीमा अधिनियम 1991 की अनुपालन सुनिश्चित करें।

12. उद्योग द्वारा अग्नि शमन हेतु उचित व्यवस्था की जाय।

13- उद्योग द्वारा यदि किसी प्रकार का सालिड वेस्ट निकलता है तो इसके निस्तारण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जायेगें, ताकि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो।

14- उद्योग में 10 हार्सपावर के डीजल इंजन की स्थापना की जायेगी। इंजन से संलग्न एग्जास्ट की ऊंचाई आस-पास के भवन छत से 1.5 मीटर रखी जायेगी।

15- उद्योग में भट्ठे से संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल से 30 मीटर रखी जायेगी।

16- चिमनी के साथ ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर की स्थापना की जायेगी। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

17- उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 26-9-2000 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

18- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

19- जिला परिषद की गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

20- आपके भट्ठे से अन्य भट्ठे की दूरी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के सुझावों के अनुसार होनी चाहिये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक.......................तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता-वृत्त 6 उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तृतीय तल, बी-ब्लाक, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ-226010...

2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,.......ललितपुर...
....

3. ....
....

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

Annexure-IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बो
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTRO

Date 15.07.2021

Ref. No H 63450 /सी–6/सा0–632/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021

पंजीकृत

M/s Ashok Kumar Singh Int Bhatta Phoolpura Koth Sikandarpur, Ballia
जनपद–बलिया

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Rustyagi
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दि० 28/2/2022
पंजीकृत

Ref. No. H.T104 /सी-6/ईंट भट्ठा/153/बन्दी आदेश निक्षेप/आजमगढ़/2022

सेवा में,

मेसर्स प्रगति ईंट भट्ठा(पूर्व नाम मेसर्स अशोक कुमार सिंह ईंट भट्ठा),
फूलपुर कोथ सिकन्दरपुर,
जनपद–बलिया।

विषय: मेसर्स प्रगति ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स अशोक कुमार सिंह ईंट भट्ठा),फूलपुर,कोथ, सिकन्दरपुर,जनपद–बलिया के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981(यथासंशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश निक्षेपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.63450/सी-6/रा0–632/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/बलिया/2021 दिनांक 15.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय,उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,आजमगढ़ के पत्रांक 520/सह0–139/2022 दिनांक 17.02.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में ईंट भट्ठा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश सशर्त निक्षेप किये जाने की संस्तुति की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों एवं संस्तुति के आधार पर मेसर्स प्रगति ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स अशोक कुमार सिंह ईंट भट्ठा),फूलपुर,कोथ,सिकन्दरपुर,जनपद–बलिया को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम1981 (यथासंशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 को निम्न प्रमुख शर्तों के साथ निक्षेप किया जाता है–

1. मेसर्स प्रगति ईंट भट्ठा (पूर्व नाम मेसर्स अशोक कुमार सिंह ईंट भट्ठा),फूलपुर,कोथ,सिकन्दरपुर,जनपद–बलिया द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही संचालित किया जाये।
2. ईंट भट्ठे में स्थापित चिमनी से उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्या उ0 प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर ईंट भट्ठा संचालित होने पर विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, इस हेतु चिमनी पर मॉनिटरिंग किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
3. उक्त आदेश ईंट भट्ठे का स्थल गाइडलाइन के अनुरूप होने पर ही मान्य होगा।
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों एवं गाईड लाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. ईंट भट्ठा परिसर में कच्चे माल एवं ईंटों की दुलाई हेतु प्रयुक्त होने वाले मार्ग को पक्का तथा ब्रिकलाइण्ड किया जाये,ताकि भट्ठा परिसर के अन्दर वाहनों के आवागमन के कारण फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन न हो।
6. यदि ईंट भट्ठे के द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय मानकों को पूरा नहीं किया जाता है या ईंट भट्ठे के विरूद्ध किसी प्रकार की वायु प्रदूषण सम्बन्धी जन शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत की जाँचोपरान्त उसकी पुष्टि होने पर नियमानुसार वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
7. माननीय न्यायालयों तथा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली तथा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन तथा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. ईंट भट्ठे द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन,मंत्रालय,भारत सरकार तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं गाईड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. यदि ईंट भट्ठे द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपण के उपरान्त सहमति प्राप्त नहीं की जाती है तो उस दशा में बन्दी आदेश पुनः प्रभावी हो जायेगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 28/2

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईंट भट्ठे के लम्बित सहमति आवेदन पत्र के अविलम्ब निस्तारित करते हुए सूचना बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जाये। यदि सहमति आदेश अस्वीकृत किया जाता है तो उस स्थिति में उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी प्रस्ताव तत्काल प्रेषित किया जाये।

(हस्ताक्षर) 28/2

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow– 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 – Fax: 0522 – 272076